

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर

क्रमांक: प.४(ड)()विधि/मनो./डीएलबी/17/ २५८६

दिनांक: १५/११/१७

संशोधित अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 4461 दिनांक 11.10.17 की कम संख्या 07 पर अकित नगरपालिका, तखतगढ़, जिला पाली में मनोनीत सहवृत्त सदस्य "रमेश राठौड़, अनुरूपित जाति" के स्थान पर "रमेश राठौड़, अन्य पिछड़ा वर्ग" पढ़ा जावें।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.४(ड)()विधि/मनो./डीएलबी/17/ २५९७-९८

दिनांक: १५/११/१७

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
02. उप सचिव(ए.एस.), मा० मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज०, जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज०, जयपुर।
05. जिला कलवटर, पाली।
06. निदेशक /अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राज० राजपत्र के असाधारण अंक के भाग ८ (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ कृपया २० प्रति भिजवाने का श्रम करें।
07. निदेशक, स्थानीय निधि अकेषण विभाग, राज०, जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
09. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, तखतगढ़ जिला पाली।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
11. प्रभारी, मोनेटरिंग सैल, निदेशालय को विभागीय ब्रेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।


(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी